प्रपत्र–1

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद नैनीताल के चोरगलिया क्षेत्र में ब्रिटिश काल में निर्मित लगभग 100 वर्ष पुरानी सिंचाई विभाग की नहर एवं नहर के शीर्ष पर निर्मित वियर विगत वर्षों में नन्धौर नदी की बाढ़ से बह गये थे। इनके साथ ही बहुत अधिक वन क्षेत्र भी नदी की बाढ़ से वह गया था। वन विभाग के अनुरोध पर सिंचाई विभाग के द्वारा इस वन क्षेत्र को पूर्व में पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है। परन्तु बही हुई नहर एवं वियर का पुनर्निमाण का कार्य किया जाना है जिसकी अनुमति हेतु यह प्रकरण प्रेषित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व से ही वन्य जीवों द्वारा नहर के पानी का उपयोग पीने के लिये किया जाता रहा है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में केवल नहर में ही पानी उपलब्ध रहता है। नदी का तल अत्यधिक Porous Material का होने के कारण नदी में उपलब्ध जल का अधिकांश भाग Sub Soil Flow के रू॰ में नष्ट हो जाता है ट्रैंच वियर के निर्माण के उपरान्त नदी में उपलब्ध आवश्यक जल का उपयोग क्षेत्र की सिंचाई एवं पेयजल हेतु किया जायेगा। वियर का निर्माण नदी तल से नीचे ही होने के कारण जलीय जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं नदी के सतत् प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यहां पर 100 वर्ष पुरानी बाढ़ में बही हुई चोरगलिया नहर एवं वियर पूर्ण रूप से विगत वर्षो में क्षतिग्रस्त हो गयी थी। जिसका निर्माण का कार्य होना है।

उपरोक्त कार्यों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक NB, SPD/4167/RIDF-XX(Uttarakhand)/148 PSC-13-01-2015/2014-15 दिनांक 16–3–2015 द्वारा रू0 1113.81 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है (फ़ोटोप्रति प्रस्ताव में संलग्न है) इस ट्रैंच वियर व नहर प्रणाली के निर्माण से जहाँ चोरगलिया स्थित कृषकों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तथा उक्त परियोजना के निर्माण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है, साथ में पर्यावरण संरक्षित रहेगा। अतः वन भूमि प्रकरण पर अनुमति देने की संस्तुति की जाती है।

सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी